REGD. NO. D. L.-33004/99

HRA Saxette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

W. 526] No. 526] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2003/ज्येष्ठ 22, 1925 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2003/JYAISTHA 22, 1925

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2003

का.आ. 672(अ).—केन्द्र सरकार, गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन) नियमावली, 1962 के नियम 4, उपनियम (2) के साथ पठित गोदी कामगार (रोजगार का विनियमन), 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय की दिनांक 19 मई, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 575(अ) के अनुक्रम में एतद्द्वारा परिवहन तथा गोदी कामगार संघ के निम्नलिखित प्रतिनिधियों को कांडला गोदी श्रीमक बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है:—

- (i) श्री एल. सत्यनारायण
- (ii) श्री लाल जी सुमार दाफदा
- (iii) श्री प्रमोद शर्मा

[फा. सं. एल बी-13014/3/2002-यू एस (एल)]

आर. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2003

S.O. 672(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 5A of Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) read along with sub-rule (2) of Rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, and in continuation to the Notification of the Govt. of India, Ministry of Shipping No. S.O. 575 (E) dated 19th May, 2003, the Central Government hereby appoints the following representatives of Transport & Dock Workers Union as members of Kandla Dock Labour Board:

- (i) Shri L. Satyanarayana
- (ii) Shri Lalji Sumar Dafda
- (iii) Shri Pramod Sharma

[F. No. LB-13014/3/2002-US(L)]

R. K. JAIN, Jt. Secy.

1636 GI/2003